

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर

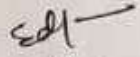
क्रमांक पी.एफ.27-A/स्था.-1/2025/...../

दिनांक /12/2025

आदेश

म.प्र. शासन पशुपालन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा के आदेश क्र. एफ-23-13/2013/पैतीस, भोपाल दिनांक 26.12.2014 के अधीन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की है। विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. एफ-03/स्था-1/2025/293, दिनांक 31.01.2024 के अनुसार डॉ. श्रीकांत जोशी, प्राध्यापक एवं अतिरिक्त प्रभार संचालक अनुसंधान सेवाएं, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को अपनी अधिवार्षिकी आयु 65 वर्ष पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उन्हें विश्वविद्यालय की सेवाओं से दिनांक 31.12.2025 (अपरान्ह) सेवानिवृत्त किया जायेगा।

मान. कुलपति जी के आदेशानुसार

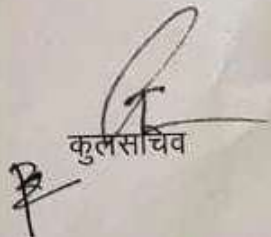

कुलसचिव

पृष्ठा. क्रमांक पी.एफ.27-A/स्था.-1/2025/3762/

दिनांक 29/12/2025

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय कुलपति जी, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता संकाय, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
3. लेखानियंत्रक, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
4. समस्त संचालक, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
5. अधिष्ठाता पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर/महू/रीवा।
6. प्रभारी अधिष्ठाता, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर।
7. प्रभारी अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
8. प्रभारी संपदा अधिकारी, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
9. प्रभारी कार्यपालन यंत्री, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
10. प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय, बेवसाइट, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
11. शाखा प्रभारी/ गोपनीय चरित्रावली/भविष्य निधि/पेंशन, ना.दे.प.वि.वि., जबलपुर।
12. डॉ. श्रीकांत जोशी, प्राध्यापक एवं अतिरिक्त प्रभार संचालक अनुसंधान सेवाएं, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
13. व्यक्तिगत नस्ती।


कुलसचिव

